

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(176)नविवि/3/84

जयपुर, दिनांक


5 JUN 2013

विषय:- गाड़िया लुहारों को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.5.2009, 26.04.2010 एवं 13.10.2011 की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा गाड़िया लुहारों को 50 वर्गगज तक भूमि उक्त पत्रों में वर्णित शर्तों पर निःशुल्क आवंटन की दिनांक 31.3.2013 तक बढ़ाई जाती है।

उक्त निःशुल्क आवंटित भूखण्ड किसी अन्य को विक्रय नहीं किया जा सकेगा, इस हेतु आवंटन आदेश की शर्तों में भी उल्लेख किया जावे। इस सम्पूर्ण कार्यवाही को नियत अवधि में सकारात्मक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(एन.एल.मीना)

उप शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
7. समस्त जिला कलक्टर,राजस्थान।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उनके पत्रांक एफ7(4)(34)विकास/सा.न्या.अ.वि./12/40338 दिनांक 23.5.2012 के संदर्भ में।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास
12. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव-तृतीय